राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

अपील संख्या 2326/2008/जयपुर

सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी
उडनदस्ता–10,राजस्थान,जयपुर — अपीलीर्थी

बनाम

मैसर्स जयपुर मार्केटिंग
सिटी सेन्टर,संसार चन्द रोड,जयपुर — प्रत्यर्थी

एकलपीठ
श्री सुनील शर्मा,सदस्य

उपस्थितः
श्री एन.के.बैद
उप राजकीय अभिभाषक — अपीलार्थी की ओर से
श्री पंकज घीया
अभिभाषक — प्रत्यर्थी की ओर से

निर्णय दिनांक 17.10.2016

निर्णय

सहायह वाणिज्यिक कर अधिकारी,उडनदस्ता–10, राजस्थान, जयपुर (जिसे आगे कर निर्धारण अधिकारी कहा जायेगा) के द्वारा अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा यह अपील उपायुक्त (अपील)तृतीय, वाणिज्यिक कर, जयपुर (जिसे आगे "अपीलीय अधिकारी" कहा जायेगा) के द्वारा अपील संख्या 96/वैट/जी/07–08 में पारित आदेश दिनांक 24.03.2008 के विरूद्ध पेश की गयी है, जिसके द्वारा उन्होंने, कर निर्धारण अधिकारी द्वारा राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 (जिसे आगे ''अधिनियम'' कहा जायेगा) की धारा 76(6) के अन्तर्गत शास्ति रू. 1,,21,720/– आरोपित की है, को अपास्त किया है।

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं कि दिनांक 30.10.2007 को अजमेर रोड़ पर डी.सी.एम के पास जयपुर से अजमेर जा रहे ट्रक नम्बर आरजे–01/जी–6104 को रोक कर चैक किया गया। वाहन में लदे माल से सम्बन्ध में दस्तावेज मांगे जाने पर वाहन चालक एवं माल प्रभारी ने जय शंकर ट्रांसपोर्ट सर्विस (रजि.) संसार चन्द्र रोड़ जयपुर की 38 बिल्टियॉ जॉच वास्ते पेश की गई। प्रस्तुत दस्तावेजों की जॉच पर बिल्टी संख्या 71218 एवं 71219 द्वारा क्रमशः 80 एवं 100 कट्टे पी.वी.सी दाना परिवहनित किया जाना पाया गया। उक्त बिल्टियों के अनुसार जयपुर से अजमेर माल भेजा रहा था तथा बिल्टियों के साथ फर्म मैसर्स जयपुर मार्केटिंग 226, सिटी सेन्टर,, संसार चन्द्र रोड़, जयपुर के वैट इन्वॉयस संख्या 406 दिनांक 22.10.2007 एवं 407 दिनांक 29.10.2007 क्रमशः रूपये 1,58,910.00 एवं रूपये 1,99,092.00 के संलग्न पाये गये। बिल नम्बर 407 में दिनांक 22.10.2007 को हाथ से बदल कर 29.10.2007 किया हुआ पाया गया। इस प्रकार बिल की तारीख में कांट छांट व मूल प्रति व डुप्लीकेट में

कुछ अन्तर पाये जाने के कारण करापवंचन की नीयत से मिथ्या दस्तावेज प्रस्तुत करने के कारण व धारा 76(2)(बी) का उल्लधंन होने के कारण कर निर्धारण अधिकारी द्वारा माल कीमतन् रूपये 3,58,002.00 पर 30 प्रतिशत से धारा 76(6) के तहत् शास्ति रूपये 1,07,400.00 एवं 4 प्रतिशत से कर रूपये 14,320.00 आरोपित कर आदेश दिनांक 31.10.2007 पारित किया गया है। कर निर्धारण अधिकारी के आदेश दिनांक 31.10.2007 से क्षुब्ध होकर प्रत्यर्थी व्यवहारी की ओर से अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपील प्रस्तुत करने पर अपीलीय अधिकारी ने आरोपित शास्ति व कर को अपास्त किया है, जिससे क्षुब्ध होकर कर निर्धारण अधिकारी की ओर से यह अपील प्रस्तुत की गई है।

अपीलार्थी कर निर्धारण अधिकारी की ओर से विद्वान उप राजकीय अभिभाषक ने अभिवाक् किया कि अपीलीय अधिकारी का अपीलाधीन आदेश प्रकरण के तथ्यों एवं उपलब्ध रिकार्ड के प्रतिकूल होने से अपास्त योग्य है क्योंकि वक्त चेकिंग प्रस्तुत बिल में दिनांक 22.10.2007 अंकित की गई थी किन्तु बाद में उसे काटकर 29.10.2007 किया गया है,जिससे प्रत्यर्थी व्यवहारी की करापवंचन की दोषी मानसिकता प्रमाणित होती है। उनका कथन है कि उक्त तथ्य की अनदेखी करते हुए अपीलीय अधिकारी ने कर निर्धारण अधिकारी द्वारा आरोपित शास्ति एवं कर को अपास्त किया जाना अविधिक है। उनका कथन है कि बिल की तारीख में कांटछांट करापवंचन की नियत से किया गया है,इसलिए उन्होंने अपीलीय अधिकारी के अपीलाधीन आदेश को अपास्त कर प्रस्तुत अपील स्वीकार किये जाने का निवेदेने किया।

प्रत्यर्थी व्यवहारी की ओर से विद्वान अभिभाषक ने कथन किया कि कर निर्धारण अधिकारी द्वारा शास्ति का आरोपण इस आधार पर किया गया है कि बिल पर अंकित तारीख 22.10.2007 को काट कर 29.10.2007 किया गया है व मूल तथा डुप्लीकेट प्रति में भी कुछ अन्तर है, इस प्रकार बिल कटिंग व अन्तर के आधार पर करापवंचन किया जाना मानते हुए शास्ति का आरोपण किया गया है। उनका कथन है कि बिल पर कटिंग के संबंध में पक्ष प्रस्तुत करते हुए कहा कि उक्त बिल दिनांक 22.10.2007 को ही तैयार कर लिया था व उक्त तिथि को ही परिवहनित माल भिजवाया जाना था। किन्तु किसी कारणवश उक्त माल दिनांक 22.10.2007 को नहीं भिजवाया जा सका व दिनांक 29.10.2007 को उक्त माल भिजवाया गया तथा डिस्पेच कलर्क द्वारा इसी कारण उक्त बिल पर 22.10.2007 के स्थान पर 29.10.2007 अंकित कर दी गई। उनका कथन है कि जांच किये जाने पर बिल में अंकित विवरण के अनुसार ही माल पाया गया व पाये गये माल में कोई भिन्नता नहीं थी। उनका कथन है कि कर निर्धारण अधिकारी को संबंधित रिकॉर्ड प्रस्तुत किया जाकर समस्त सत्यापन करा दिया

था, इस प्रकार प्रत्यर्थी द्वारा किसी दुर्भावना से बिल में कटिंग नहीं की गई थी तथा मूल व डुप्लीकेट प्रति में भी कोई अन्तर नहीं था व समस्त उपयुक्त दस्तावेजों के साथ माल का परिवहन किया जा रहा था। बिलों में कटिंग अथवा मामूली कांट छांट के आधार पर करापवंचन की मनोदशा प्रमाणित किये बिना शास्ति का आरोपण विभिन्न न्यायिक निर्णयों में अनुचित माना गया है व आरोपित शास्ति अपास्त की गई है। उन्होंने उक्त कथन के आधार पर प्रस्तुत अपील अस्वीकार करने का निवेदन किया गया।

उभय पक्ष की बहस सुनी गयी तथा उपलब्ध रिकार्ड एवं अपीलीय अधिकारी के अपीलाधीन आदेश का अवलोकन किया गया। हस्तगत प्रकरण के तथ्यों के अनुसार कर निर्धारण अधिकारी द्वारा बिल में अंकित की गई तारीख 22.10.2007 को काट कर दिनांक 29.10.2007 किये जाने के आधार पर करापवंचन मानकर कर एवं शास्ति आरोपित की गइ है। उक्त कटिंग का कारण पूछे जाने पर प्रत्यर्थी व्यवहारी की ओर से बताया गया है कि माल दिनांक 22.10.2007 को रवाना किया जाना था किन्तु अपहरिहार्य कारणों से माल दिनांक 22.10.2007 को नहीं भिजवाया जा सका और माल दिनांक 29.10.2007 को भिजवाया गया है इसलिए बिल क्लर्क बिल की तारीख अंकित तारीख 22.10.2007 को काट कर दिनांक 29.10.2007 किया गया है,जिसमें कोई करापंवचन की मानसिकता नहीं थी। उनका कथन है कि वक्त चेकिंग प्रस्तुत किये गये दस्तावेजों के अनुसार ही माल का गमनागमन किया जा रहा था।

उक्त तथ्य के परिप्रेक्ष्य में विद्वान अपीलीय अधिकारी ने प्रकरण के तथ्यों का विस्तृत विवेचन करने के पश्चात कर निर्धारण अधिकारी द्वारा आरोपित शास्ति व कर को अपास्त किया गया है,जिसमें किसी प्रकार के हस्तक्षेप की गुन्जाईश यह पीठ नहीं समझती है। फलस्वरूप अपीलीय अधिकारी के अपीलाधीन आदेश दिनांक 24.03.2008 की पुष्टि करते हुए कर निर्धारण अधिकारी की ओर से प्रस्तुत अपील अस्वीकार की जाती है।

निर्णय सुनाया गया ।

(सुनील शर्मा)
सदस्य